

26/09/23 - परिवारि हकीमा खानुम कठुपरिचर /
कफिलेख से विदित होता है

कि प्रान्तु काह फिगि 16/12/22 से परिवारि
के शपथ पर खानुम के लिए लेखित किया आ
रहा है प्रान्तु परिवारि शपथ पर खानुम के लिए
न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रही हैं।
कफिलेख पर भी सही कोर्ट सामग्री उपलब्ध
नहीं है जिससे प्रान्तु काह की बहोवारी को आगे
बढ़ाया जा सके।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में
परिवार पर जो 60000/- की धारा 203 के
तहत खारिज किया जाना है।

दा० स० कफिलेख को फिगिगुहा

कफिलेख गार से जमा करें।